(ख) सिंचाई के लिए खुले/बोरवेल।
(ग) मत्स्य पालन के लिए तालाब की खुदाई/पुन: खुदाई करना।
(घ) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आवासीय इकाईयाँ।
(ङ) स्वच्छ शौचालय/धूम्र रहित चूल्हा।

• योजनान्तर्गत प्रशासनिक/प्रासंगिक मद में व्यय की व्यवस्था : वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतें उक्त मद में एवं तकनीकी परामर्श हेतु सम्पूर्ण वार्षिक बजट का अधिकतम 7.5 प्रतिशत या 7500/- जो कम हो, व्यय कर सकती हैं।

• परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु व्यवस्था : ग्राम पंचायत अन्तर्गत जे०आर०वाई० के तहत् पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु अधिकतम 15 प्रतिशत व्यय करने के लिए अधिकृत है।

• वार्षिक कार्य योजना/कार्यों का अनुमोदन : प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में पूर्व वर्ष में आबंटित धनराशि के 125 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी, जिसका अनुमोदन ग्राम सभा की बैठक में किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत 50,000-00 रुपये तक के अनुमोदित कार्यों को बिना किसी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के करा सकती हैं, परन्तु इससे अधिक लागत के कार्यों के लिए सक्षम अधिकारियों से तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ग्राम पंचायत को तकनीकी रूप से योग्य प्राइवेट व्यक्तियों से परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन कराये जाने के लिए अनुमति होगी। ऐसे तकनीकी रूप से योग्य प्राइवेट स्टाफ की नियुक्ति के बारे में शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जानी है।

• श्रम-सामग्री का अनुपात : योजना के तहत श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 होना चाहिए।

• ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति का गठन : शासन द्वारा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से ग्राम सभा प्रत्येक कार्य के पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण के लिए प्रत्येक गाँव में एक सतर्कता समिति गठित करेगी। समिति में गाँव में रहने वाले तीन व्यक्ति सम्मिलित होंगे, जिनमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति तथा एक महिला प्रतिनिधि अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

• समस्त सुविधाओं/जानकारी हेतु सम्पर्क व्यक्ति : सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपद स्तर पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना

इन्दिरा आवास योजना की भांति प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना की जनपद के लिए लागू की गई है जिसमें प्रति लाभार्थी रु० 20,000 आवास एवं शौचालय निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थी का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी सभी शर्तें पात्रतायें वही हैं जो इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निहित हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

'शहरी भारत' और 'ग्रामीण भारत' में जमीन-आसमान का अन्तर है। प्रगति की राह पर गांव साथ-साथ कदम नहीं बढ़ा सके। इस राह की एक महत्वपूर्ण कड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों का राष्ट्रीय जाल है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों का राष्ट्रव्यापी जाल प्रगति की महत्वपूर्ण कड़ी है।

पिछले पांच दशकों से ज्यादा समय में ग्रामीण सड़कों की लम्बाई बढ़ रही है फिर भी अभी लगभग 40 प्रतिशत गाँव ऐसे हैं जिनका सम्पर्क नहीं है। प्रथम बार एक ऐसा कार्यक्रम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलायी जा रही है जो कि केवल गांवों में सड़क निर्माण के प्रति समर्पित है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003 तक 1000 व्यक्तियों से ज्यादा की जनसंख्या वाली हर बस्ती को अच्छी, बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। वर्ष 2007 तक 500 व्यक्तियों से ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पूरी धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०)

उद्देश्य : यह एक ऋण-सह-अनुदान कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को सामर्थ्य प्रदान करने के निमित्त बड़ी संख्या में छोटे उद्योगों की स्थापना के लिये है। इसके मूल में यह विश्वास है कि भारत के ग्रामीण गरीबों में क्षमतायें हैं और उन्हें उचित सहायता प्रदान कर मूल्यवान वस्तुओं का सफल उत्पादक बनाया जा सकता है। यह योजना 5 वर्ष के लिए है। प्रथम वर्ष में 15